

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	17.05.2016	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह वाद रामशरण पंडित पिता-स्व० ढालो पंडित ग्राम-बाराकोला थाना-चकाई जिला-जमुई द्वारा लाया गया जिसे अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुना गया एवं अंगीकृत किया गया। यह पुनरीक्षण वाद रामशरण पंडित ने निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, चकाई के भू-बन्दोबस्ती वाद सं०-१०/१०-११ में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2011 के विरुद्ध लाया है।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पुनरीक्षणकर्ता पिछड़ी जाति का कुम्हार है और भूमिहीन है। मौजा-बाराकोला का खाता सं०-७८ खेसरा सं०-१०४१ रकवा १.५० एकड़ जमीन खतियान में वकास्त ठीकेदार किस्म भीठ दर्ज है। इस जमीन पर पुनरीक्षणकर्ता का आवासीय मकान एवं बांस का कई वृक्ष अवस्थित है। पुनरीक्षणकर्ता ने वर्ष २००९ में मौजा-बाराकोला के खाता सं०-७८ खेसरा सं०-१०४१ रकवा-१.०० एकड़ जमीन की बन्दोबस्ती के लिए अंचल अधिकारी, चकाई के पास आवेदन समर्पित किया था जिसपर जाँचोपरान्त अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के नाम से बन्दोबस्ती का प्रस्ताव उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई को भेज दिया गया। उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा पुनः जमीन की वर्तमान स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश के साथ अभिलेख अंचल अधिकारी, चकाई को वापस भेज दिया गया। इसके बाद अंचल अधिकारी द्वारा पुनः जाँच-पड़ताल किया गया। खेसरा सं०-१०४१ कुल रकवा-१.५० एकड़ में से ७५ डी० जमीन का लगान निर्धारण वाद सं०-०१/२००२-०३ में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेशानुसार जमाबंदी सं०-१६८ पर रैयत श्री प्रकाश राय सा०-बटपार के नाम से दर्ज था। अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा स्वयं जाँच किया गया और जाँच में मौजा-बाराकोला के खाता सं०-७८ खेसरा सं०-१०४१ रकवा-७५ डी० जमीन पर पुनरीक्षणकर्ता का दखल कब्जा एवं बांस का वृक्ष पाते हुए इस जमीन की बन्दोबस्ती पुनरीक्षणकर्ता के नाम से करने की अनुशंसा के साथ भू-बन्दोबस्ती वाद सं०-१०/१०-११ का अभिलेख उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के पास भेज दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता के नाम से</p>	



बन्दोबस्ती का प्रस्ताव ग्राम सभा से भी पारित था और किसी के द्वारा बन्दोबस्ती प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति भी दाखिल नहीं किया गया था, परन्तु उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा दिनांक 26.03.2011 को पुनरीक्षणकर्ता के बन्दोबस्ती प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश में अंकित है कि प्रस्तावित भूमि पूर्व से ही कमली देवी पति-स्व० हाड़ी ताँती ग्राम-नवादा टोला-खैरम अंचल-चकाई जिला-जमुई के साथ मौजा-बाराकोला खाता नं०-78 खेसरा नं०-1041 रकवा-2.02 एकड़ बन्दोबस्त है। उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर बन्दोबस्ती प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। खेसरा सं०-1041 का कुल रकवा 1.50 एकड़ है, परन्तु उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश में खेसरा सं०-1041 में कमली देवी के नाम से 2.02 एकड़ बन्दोबस्त होने का जिक्र है। उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई द्वारा बिना सम्पूर्ण तथ्यों की गहन जाँच किये ही बन्दोबस्ती प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया, जो गलत है। अतः बन्दोबस्ती वाद सं०-10/10-11 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 26.03.2011 को निरस्त किया जाय तथा पुनरीक्षणकर्ता के नाम से प्रश्नगत जमीन बन्दोबस्त करने हेतु आदेश पारित किया जाय।

2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद चलने लायक नहीं है और कालबाधित है। मौजा-बाराकोला के खाता सं०-78 खेसरा सं०-1041 रकवा-1.50 एकड़ जमीन में से 75 डी० जमीन को विपक्षी कमली देवी के पति-हाड़ी ताँती पे०-माना ताँती ग्राम-नवादा थाना-चकाई जिला-जमुई ने वाद सं०-112/1955-56 के द्वारा बन्दोबस्ती से हासिल किया था और बन्दोबस्ती की तिथि से इस जमीन पर हाड़ी ताँती का दखल कब्जा हुआ। हाड़ी ताँती ने मौजा-बाराकोला के खाता सं०-87 खेसरा सं०-1036 में 1.27 एकड़ जमीन और अर्जित किया था। इस तरह से जमाबंदी सं०-176 में कुल 2.02 एकड़ जमीन का मालगुजारी रसीद हाड़ी ताँती के नाम से निर्गत किया गया। जमाबंदी सं०-176 के अंतर्गत मौजा-बाराकोला के खाता सं०-78 खेसरा सं०-1041 रकवा-75 डी० जमीन का मालगुजारी रसीद हाड़ी ताँती के नाम से कट रही है जिसका लगान निर्धारण वाद सं०-01/2002-03 के माध्यम से उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश से हुआ है। मौजा-बाराकोला के खाता सं०-78 खेसरा सं०-1041 कुल रकवा-1.50 एकड़ जमीन में से 75 डी० जमीन वाद सं०-112/1955-56 के द्वारा हाड़ी ताँती के नाम से बन्दोबस्त है तथा शेष 75 डी० जमीन प्रकाश राय सा०-बटपार के नाम से बन्दोबस्त है जिसका जमाबंदी सं०-168 है। इस तरह से मौजा-बाराकोला के खाता सं०-78 खेसरा सं०-1041 में जमीन बचा हुआ नहीं है इसलिए बन्दोबस्ती की बात आधारहीन हो जाता है। प्रकाश राय ने बन्दोबस्ती से प्राप्त जमीन 75 डी० को रामशरण पंडित को बेच दिया। खरीदने के बाद रामशरण पंडित दखल-कब्जा में आये और अपना मकान बनाये तथा आम, शीशम तथा बांस का पेड़ लगाये। प्रकाश राय का बन्दोबस्ती जमीन बेचने का अधिकार नहीं था फिर भी

प्रकाश राय ने बन्दोबस्त जमीन बेचा और रामशरण पंडित ने खरीदा। हाड़ी ताँती के नाम से जो जमीन बन्दोबस्त था उस पर हाड़ी ताँती का दखल कब्जा रहा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कमली देवी एवं पुत्र बालेश्वर ताँती तथा बासुदेव ताँती का हक अधिकार एवं दखल कब्जा है और अद्यतन लगान रसीद कट रही है। इस जमीन पर विपक्षी को B.T. Act की धारा-20, 21 के तहत Occupancy Right प्राप्त है। इतनी लम्बी अवधि से चली आ रही जमाबंदी को खंडित करने अथवा खंडित कर दूसरे को बन्दोबस्त करने का कानून में कहीं प्रावधान नहीं है। बन्दोबस्ती वाद सं०-10/10-11 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 26.03.2011 विधि-सम्मत है। अतः रिविजनकर्ता का रिविजन आवेदन खारिज किया जाय।

3. पुनरीक्षणकर्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये:-

1. अंचल अधिकारी, चकाई के ज्ञाप सं०-323 दिनांक 26.04.13 की छायाप्रति,

2. राधे प्रसाद राय एवं मसोमात कमली देवी के बीच दिनांक 04.08.2004 को हुए समझौता एकरारनामा दस्तावेज के नकल की छायाप्रति।

4. विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये:-

1. रैयत का पर्चा की छायाप्रति,

2. जमाबंदी सं०-176 के पंजी-II की सच्ची प्रतिलिपि,

3. मालगुजारी रसीद सं०-00753684, 00784739, 655059, 277214, 264321, 0348570 की मूल प्रति।

5. प्रस्तुत वाद उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 26.03.2011 जो अंचल कार्यालय, चकाई के भू-बन्दोबस्ती वाद सं०-10/10-11 के विरुद्ध लाया गया है जिसके माध्यम से श्री रामशरण पंडित पिता-दोलो कुम्हार सा०-बाराकोला थाना-चकाई को मौजा-बाराकोला खाता सं०-78 खेसरा सं०-1041 रकवा-75 डी० भूमि की बन्दोबस्ती अस्वीकृत की गई है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस बन्दोबस्ती को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व से कमली देवी विपक्षी को बन्दोबस्त है। आवेदक का यह कहना है कि आवेदक द्वारा मांगी जा रही जमीन की बन्दोबस्ती किसी को नहीं की गई है और उसपर उनका दखल कब्जा है। दखल कब्जा मकान एवं बांस के रूप में है, वहीं उनका यह भी कहना है कि वे भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं। दूसरी तरफ विपक्षीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनको 1955-56 में ही बन्दोबस्त किया जा चुका है और इस पर उन्हीं का दखल कब्जा है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत खेसरा सं०-1041 जिसका कुल रकवा-1.5 एकड़ है उसमें से श्री प्रकाश राय को भी 75 डी० जमीन बन्दोबस्त हुआ था जिसे उन्होंने इस वाद के आवेदक रामशरण पंडित को बेचा दिया जो उस पर वर्तमान में दाखिल काबिज है। अंचल





अधिकारी के प्रतिवेदन में आवेदक का जो दखल कब्जा दिखाया जा रहा है वह इसी प्रकाश राय को बन्दोबस्त जमीन पर है। वहीं अभिलेख पर उपलब्ध अंचल कार्यालय, चकाई के प्रतिवेदन जो उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई को पत्रांक 189 दिनांक 01.03.12 से भेजा गया है के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि कमली देवी के नाम से निर्गत लगान रसीद में उनके द्वारा हेर फेर कर घोखा देने का प्रयास किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 26.03.2011 को निरस्त किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, चकाई को आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष के दावों की विधिवत जाँच करते हुए उभय पक्ष के प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जे संबंधी एवं भूमिहीन होने के दावों की भी जाँच करते हुए अगर श्री रामशरण पंडित की भूमि बन्दोबस्ती की पात्रता बनती है तो इस संबंध में विधिवत बन्दोबस्ती प्रस्ताव समर्पित करें साथ ही इस वाद में किसी पक्ष द्वारा अगर लगान रसीद या अन्य कागजात में हेर फेर का प्रयास किया गया है तो इस संबंध में पूर्णरूप में संतुष्ट होकर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे साथ ही प्रश्नगत खेसरे की 75 डी0 जमीन पूर्व के बन्दोबस्तदार श्री प्रकाश राय द्वारा इस वाद के आवेदक को विक्री किये जाने की बात आयी है, इस तथ्य की भी पूर्णरूप से जाँच कराते हुए इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन समाहर्ता, जमुई को समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता,
जमुई।


समाहर्ता,
जमुई।